भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 216] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 23, 1972/आश्विन 1, 1894

No. 216] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 23, 1972/ASVINA 1, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
23 NOV 1972
GOVT. OF INDIA

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 23rd September 1972

Subject.—Scheme for the licensing of Indian cotton textiles for export to Austria during the Licensing year 1972-73.

No. PN(AUSTRIA LICENSING)/1 OF 1972.—The scheme relates to the Export of all varieties of mill-made cotton textiles including cotton yarn from India to AUSTRIA during the licensing year 1st October, 1972 to 30th September, 1973.

2. Exports will be allowed from any port in India.

3. Licences under the scheme shall be issued by the Joint Chief Controller of Imports & Exports, Bombay on the basis of the quota certificate issued by the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay on first come-first-served basis. The Quota Certificate will be issued on application by Exporters of first contracts and a proforma invoice indicating, inter alia, other details, the nett weight in kgs. of the goods in Form prescribed by the Texprocil for the purpose.

4. For the purpose of exports and issuance of quotas/licences, Cotton Textiles have been divided into the following three categories:

CATEGORY I—Grey goods,

CATEGORY II—Terry Towels and Towelling, AND

CATEGORY III—Cotton yarn, finished fabrics, Miscellaneous.

5. Such imports into Austria will be admitted by the Competent Austrian authority only on presentation of the Green Certificate issued by the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, on the basis of which the Austrian authorities would issue an import licence.

6. Licences and quotas shall not be transferable without the express consent in writing of the E.E.C. and Austria Textiles Licensing Advisory Committee.

7. A non-refundable charge of Rs. 2.50 per ton will be levied by the Cotton Textiles Export Promotion Council for the issue of quotas, subject to a minimum of Rs. 2.50.

8. All quota holders shall have to submit monthly reports to the Cotton Textiles Export Promotion Council giving details of the shipments against individual licences issued to them. These statements should reach the Council by the 10th of the subsequent month.

9. E.E.C.—Austria Textiles Licensing Advisory Committee shall (a) supervise the entire scheme, (b) keep a watch over the performance from time to time, (c) interpret and give decisions on various matters arising out of the operation of the Scheme and (d) make such changes in the scheme as the Committee deems fit from time to time. The Licensing Committee shall be empowered to frame rules and regulations from time to time, *inter alia*, providing for the conditions to be complied with by an applicant before he would be entitled to quotas. It shall also have the right to withhold or cancel quotas and reject applications for quotas without assigning any reasons.

10. The address of the Cotton Textiles Export Promotion Council is as follows:—

"Engineering Centre", 5th Floor, 9 Mathew Road, BOMBAY-4

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनाएं

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 1972

विषय :—लाइसेंस—वर्ष 1972–73 के दौरान आस्ट्रिया को भारतीय सूती वस्त्रों का निर्यात करने के लिये लाइसेंस जारी करने की योजना।

संख्या चीएन (आस्ट्रिया लाइसेंसिंग)/1972.—यह योजना लाइसेंस वर्ष 1 अक्तूबर, 1972 से 30 सितम्बर, 1973 के दौरान सूती धागे सहित मिल-निर्मित सूती वस्त्रों की सभी किस्मों के भारत से आस्ट्रिया को निर्यात से सम्बन्धित है ;

2 भारत के किसी भी पत्तन से निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी।

3. इस योजना के अधीन लाइसेंस, सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई द्वारा जारी किये गये कोटा प्रमाणपत्र के आधार पर संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात, बम्बई, द्वारा 'पहले आए सो पहले पाए' के आधार पर जारी किये जाएंगे। कोटा प्रमाण पत्र निर्यातकों द्वारा निश्चित संविदाएं प्रस्तुत करते हुए और अन्य ब्यौरे के साथ टेक्सप्रोसिल द्वारा निर्धारित प्रपत्र में माल का कि० ग्रा० में कुल भारत प्रदर्शित हुए बोजक प्रपत्र प्रस्तुत करने पर जारी किया जाएगा।

4. निर्यातों और कोटे/लाइसेंसों के निर्गमन के उद्देश्य के लिये सूती वस्त्र निम्नलिखित तीन श्रेणीयों में विभक्त किये गये हैं:—

श्रेणी 1—ग्रे गुड्स

श्रेणी 2—टेरिक्लस तथा टावलिंग, और

श्रेणी 3—सूती धागे, तैयार कपड़ा, विविध।

5. आस्ट्रिया में ऐसे आयतों की स्वीकृति केवल सूती निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई, द्वारा जारी किये गये ग्रीन प्रमाणपत्र के प्रस्तुतीकरण पर आस्ट्रिया के समर्थ प्राधिकारी द्वारा दी जाएगी जिसके आधार पर आस्ट्रिया के प्राधिकारी आयात लाइसेंस जारी करेंगे।

6. ई०ई० सी० और आस्ट्रिया की कपड़ा-लाइसेंस सलाहकार समिति की लिखित रूप में स्पष्ट स्वीकृति के बिना लाइसेंस और कोटा हस्तान्तरित नहीं किये जाएंगे।

7. कोटा जारी करने के लिये सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा प्रति टन 2.5 रुपये के हिसाब से एक अदेय शुल्क वसूला जाएगा। इसकी न्यूनतम राशि 2.50 रुपये होगी

8. सभी कोटाधारी जिनको व्यक्तिगत लाइसेंस जारी किये गये हैं, उसके लिये उन्हें पोतलदान का विवरण देते हुए सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद को एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ेगी। ये ब्यौरे परिषद के पास अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक पहुंच जाने चाहिये।

9. ई०ई०सी० आस्ट्रिया वस्त्र सलाहकार समिति के ये कार्य होंगे— (क) सम्पूर्ण योजना का पर्यवेक्षण करना, (ख) समय समय पर कार्य पालन की निगरानी रखना, (ग) योजना के परिचालन से सम्बन्धित उत्पन्न विभिन्न मामलों का विवेचन करना और निर्णय देन तथा (घ) योजना में समय-समय पर ऐसे परिवर्तन करना जिसे समिति उपयुक्त समझे। कोटा प्राप्त करने के लिये पात्र बनने से पहले की शर्तों का आवेदक से पालन कराने के साथ-साथ लाइसेंस समिति समय समय पर नियम तथा विनियम बनाने के लिये भी अधिकृत है। उसे यह भी अधिकार होगा कि वह कोटा को रोक ले या उसे रद्द करदे और बिना किसी कारण के समनुदेशित किये ही कोटा के लिये दिए गये आवेदन पत्र को रद्द करदे।

10. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद का पता निम्नलिखित है:—

"इंजीनियरिंग सेन्टर 5 बी, मंजिल, 9 जैयूप रोड, बम्बई—4.